**भारत सरकार**
**रेल मंत्रालय**

**लोक सभा**
**30.07.2025 के**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1822 का उत्तर**

**चेन्नई मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम**

**1822. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) क्या सरकार ने चेन्नई मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) के संचालन और प्रबंधन को भारतीय रेलवे से चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) को हस्तांतरित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(ख) एमआरटीएस सेवाओं और बुनियादी ढांचे के सीएमआरएल को पूर्ण हस्तांतरण में देरी के कारणों का ब्यौरा क्या है;**

**(ग) क्या सरकार सुचारू हस्तांतरण के लिए किसी वित्तीय, परिचालन या कानूनी पुनर्गठन पर विचार कर रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और**

**(घ) एमआरटीएस नेटवर्क के सीएमआरएल को पूर्ण हस्तांतरण की अपेक्षित समय-सीमा क्या है और इस एकीकरण से यात्रियों को क्या लाभ होने की संभावना है?**

**उत्तर**

**रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री**

**(श्री अश्विनी वैष्णव)**

**(क) से (घ): तमिलनाडु सरकार और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के अनुरोध पर, रेल मंत्रालय ने एक परामर्शदाता के माध्यम से चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा अध्ययन कराने पर सहमति व्यक्त की थी और फाइनल रिपोर्ट फरवरी, 2018 में प्रस्तुत की गई थी। तमिलनाडु सरकार, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर आयोजित एक बैठक के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा चेन्नई के मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का**

प्रस्तावित अधिग्रहण केवल चेन्नई बीच और चेन्नई एग्मोर (4 कि.मी.) के बीच चौथी लाइन के निर्माण के पूरा होने के बाद ही शुरू हो सकता है।

चेन्नई बीच और चेन्नई एग्मोर के बीच चौथी लाइन का कार्य मार्च, 2022 में 279.80 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत किया गया है। यह कार्य मार्च, 2025 में पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है।

तमिलनाडु सरकार को मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम सौंपने के लिए विस्तृत समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने से पहले, रूपरेखा/सिद्धांतों को अंतिम रूप देने के लिए, रेलवे और चेन्नई एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण के बीच एक बैठक हुई और रेलवे तथा तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों की विशेष समिति का गठन किया गया। समिति ने विस्तृत समझौता ज्ञापन तैयार करने के लिए व्यापक रूपरेखा/सिद्धांत तैयार किए हैं। विलय एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें गाड़ी परिचालन, परिसंपत्तियों के अनुरक्षण और सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं और इस स्तर पर समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को तमिलनाडु सरकार को सौंपने से चेन्नई में परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच बेहतर समन्वय की संभावना हो सकती है, जिससे इस एकीकरण के माध्यम से यात्रियों को लाभ होगा।

******